न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला–भीलवाड़ा (राज0)

केम्प ज्ञानगढ

पीठासीन अधिकारी:–रजनी माधीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:–14/18 रा0वाद

अनवान

1–श्री हजारी पुत्र घीसा गुजर निवासी टापा का वाड़िया ज्ञानगढ तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा।

2–श्री जवारा पुत्र घीसा गुर्जर निवासी टापा का वाड़िया ज्ञानगढ तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा।

---वादीगण।

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब तहसील करेडा जिला भीलवाडा।

--प्रतिवादीगण।

उपस्थित :–

1–मुकेश जैन — अधिवक्ता वादी

2–पेरोकार सरकार — अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88, 89 रा0का0 अधिनियम

निर्णय

दिनांक 15.05.2018

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88, 89 रा0का0अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी पेश किया गया; दाद पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को उजरदारी पेश करने हेतु न्यायायल द्वारा सम्मन जारी किया गया। सम्मन बाद तामील शामिल मिसल है।

नियत पेशी दिनांक अधिवक्ता वादीगण एवं पेराकार सरकार उपस्थित आये। प्रतिवादी द्वारा जवाब–दावा पेश करने हेतु अवसर चाहा गया। न्यायहित में प्रतिवादी को समुचित अवसर देने के उपरान्त प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया।

आज दिनांक 15.5.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा–2018 केम्प ज्ञानगढ पर मिसल प्रस्तुत की गई। वादी पक्ष द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि ग्राम एवं पटवार मण्डल ज्ञानगढ तहसील करेडा पूर्व तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा की साबिक आराजी नंबर 90/2 रकबा 36.00 बीघा भूमि दिनांक 07.08.1965 को तत्कालीन खातेदार शंभूसिंह पुत्र रणजीतसिंह चुण्डावत निवासी ज्ञानगढ से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर क्रय-कर अपने आधिपत्य में प्राप्त की गई। उक्त वादग्रस्त 36.00 बीघा भूमि की पानड़ी वादीगण को नहीं मिलने पर वादीगण द्वारा तत्समय की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत भू–प्रबंध अधिकारी के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पानडी दिलाने हेतु निवेदन किया जिसके प्रकरण सं. 1957/74 ए.एस.ओ. तहसील माण्डल हजारी, जवारा पुत्र घीसा गुर्जर बनाम सरकार कायम हुये। उक्त प्रकरण की प्रमाणित प्रति पत्रावली पर उपलब्ध होकर स्पष्ट है कि प्रकरण वर्ष 1974 में दर्ज रेकार्ड होकर उक्त मिसल में दिनांक 30.08.1974 को मुकाम ज्ञानगढ़ पर पेश करने का आदेश पारित हुये। नियत तिथि दिनांक को पत्रावली मुकाम ज्ञानगढ़ पर पेश हुई जिसमें वादी हजारी मुकाम ज्ञानगढ़ पर पेश आये तथा सक्षम अधिकारी से निवेदन किया गया कि वादी हजारी व जवारा गुर्जर द्वारा वर्ष 1965 में मौजा ज्ञानगढ स्थित वादग्रस्त आराजी नं. 90/2 में से 36.00 बीघा भूमि का प्रतिफल श्री शंभूसिंह जी अदा कर दिया है तथा वादीगण वर्ष 1965 से निरन्तर कब्जे काश्त होकर उक्त वादग्रस्त भूमि पर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। परन्तु श्री शंभूसिंह द्वारा इसकी पानडी हमें नहीं दिये जाने से खाता हमारे नाम रद्दोवदल नहीं हुआ प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों से स्पष्ट है कि उपरोक्त वादग्रस्त आराजी के नवीन खसरा नंबर 208 कायम किये गये जिसका रकबा 30.17 बीघा भूमि बनती है। मौके पर तत्कालीन सक्षम अधिकारी द्वारा श्री शंभूसिंह को आहुत कर उनके बयान कलमबद्व किए। श्री शंभूसिंह द्वारा दिनांक 30.08.1974 को भू–प्रबंध अधिकारी के समक्ष स्वीकार किया कि वह पानड़ी/पर्चा लगा प्रार्थी को नहीं दे सका है परन्तु शंभूसिंह ने अपने बयानों में यह निर्विवादित तथ्य स्वीकार किया है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विक्रय के एवज में उनके द्वारा 1965 में हजारी एवं जवारा गुर्जर से

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner

प्रतिफल 2000/– रूपये प्राप्त कर लिया है तथा कब्जा भी सिपुर्द कर दिया है तथा शंभूसिंह ने विक्रयशुदा आराजी वादीगणों के नाम दर्ज कराई जाने बाबत् सहमति व्यक्त की है। इस प्रकरण में प्रतिवादी तहसीलदार करेड़ा होकर राज्य पक्ष की ओर से हल्का पटवारी एवं संबंधित गिरदावर तथा पेरोकार सरकार मौके पर उपस्थित आये जिनके द्वारा निवेदन किया गया कि साबिक आराजी नं0 90/2 रकबा 36.00 बीघा के नवीन आराजी नं0 208 कायम होकर क्षेत्रफल 30.17 बीघा कायम किया गया। राज्य पक्ष की ओर से निवेदन किया गया कि वादीगणों का वाद खारिज किया जाने की प्रार्थना की गई। परन्तु राज्य पक्ष द्वारा इसके प्रमाण कोई दस्तावेज पेश नहीं किया तथा भू–प्रबंध अधिकारी भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.08.1974 जिसमें स्वयं राज्य पक्ष भी पक्षकार था। दिनांक 30.08.1974 को हुये निर्णय की जानकारी राज्य पक्ष को हो चुकी थी । यदि प्रतिवादी राज्य पक्ष उक्त निर्णय से अप्रसन्न थे तो उन्हें सक्षम न्यायालय में अन्दर अवधि इसका प्रतिवाद / अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। केवल मात्र यह कथन कि वादीगणों को अनुतोष नहीं दिया जाकर वादपत्र खारिज किए जाने की प्रार्थना मात्र उक्त दलील से यह न्यायालय सहमत नहीं है। विक्रय पत्र जो शंभुसिंह द्वारा निष्पादित किया गया है वह वर्ष 1965 का होकर पंजीबद्ध है। अधिवक्ता वादीगण के इस तर्क से यह न्यायालय सहमत है कि वर्ष 1965 में निष्पादित विक्रय पत्र पर सिलिंग अधिनियम प्रभावी नहीं है। सिलिंग अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व ही उक्त विक्रय दस्तावेज निष्पादित हुआ हैं तथा आज दिनांक तक उक्त विक्रयपत्र के विरूद्व राज्य पक्ष द्वारा इसे खारिज कराने अथवा इसके विरूद्व कोई अपील पेश करने का प्रमाण न्यायालय के समक्ष पेश नही किए जाने से राज्य पक्ष का कथन स्वीकार योग्य नहीं है। इसके विपरीत स्वयं विक्रेता के तत्समय न्यायालय सहायक भू–प्रबंध अधिकारी के समक्ष दिनांक 30.08.1974 को प्रतिफल प्राप्ति तथा कब्जा काश्त वादी का होना तथा संपूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाने के पश्चात न्यायालय सहायक भू–प्रबंध अधिकारी के यहाँ दर्ज मिसल नं0 1957/74 निर्णय दिनांक 30.08.1974 की अनुपालना में वादीगणों को तत्समय ही राहत मिल जानी चाहिए थी। परन्तु विगत लगभग 53 वर्षों से वादीगण अपने नाम भूमि दर्ज रेकार्ड कराये जाने बाबत प्रयासरत होने से लोक अदालत की भावना से यह प्रकरण निर्णित किया जाना सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है।

अतः वादीगण का वादपत्र सहायक भू–प्रबंध अधिकारी के निर्णय दिनांक 30.08.1974 की अभिपुष्टि करते हुए बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्वीकार किए जाने तथा मौजा ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा स्थित आराजी नं. 208 रकबा 30.17 बीघा भूमि जो वर्तमान में बिलानाम सरकार अभिलिखित है के बजाय वादीगणों को उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने के आदेश पारित किए जाते है।

:: आदेश ::

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी स्वीकार किए जाने से तथा वादीगणों को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के कारण मौजा ज्ञानगढ तहसील करेड़ा स्थित आराजी नं. 208 रकबा 30.17 बीघा भूमि जो वर्तमान में बिलानाम सरकार अभिलिखित है के बजाय वादीगणों के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन करने के आदेश पारित किए जाते है। पालनार्थ तहसीलदार करेड़ा को लिखा जावें। तदनुसार डिक्री मुर्तिब हो।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2018 को मुकाम ज्ञानगढ़ उभय पक्ष की उपस्थिति में सरे ईजलाश सुनाया गया।

(रजनी माधीवाल)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा

सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner

डिक्री

(आदेश 20 नियम 6/जा0दी0)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला भीलवाडा(राज0)

बईजलास सुश्री रजनी माधीवाल (आर0ए0एस0)

अनवान

1–श्री हजारी पुत्र धीसा गुजर निवासी टापा का वाड़िया ज्ञानगढ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

2–श्री जवारा पुत्र धीसा गुर्जर निवासी टापा का वाड़िया ज्ञानगढ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

---वादीगण।

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

--प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 मुकदमा नं. 14/18 निर्णय दिनांक 15.05.2018

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई हिजरी वकील वादी श्री मुकेश जैन मिनजानिब मुददई पेरोकार सरकार मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट सहायक भू–प्रबंध अधिकारी के निर्णय दिनांक 30.08.1974 की अभिपुष्टि करते हुए स्वीकार कर मौजा ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा स्थित आराजी नं. 208 रकबा 30.17 बीघा भूमि जो वर्तमान में बिलानाम सरकार अभिलिखित है के बजाय वादीगणों के नाम राजस्व रेकार्ड़ में अंकन करने किए जाने बाबत डिक्री प्रदान की जाती है। फरिकेन खर्चा अपना–अपना वहन करें।

आज तारीख 15.05.2018 को डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(रजनी माधीवाल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner